ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या- 4/2020
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः जनवरी 28 ,2020

विषयः- सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य एंव उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 में वर्णित प्राविधानों के कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश ।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि मुख्यालय स्तर से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य एंव उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 में वर्णित प्राविधानों के कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु समय-समय पर पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर अनुपालनार्थ आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये है जिनमें प्रमुख रूप से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य एंव उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 में वर्णित प्रमुख धाराओं यथा धारा 4,5,6,8,6ब एवं धारा 7 आदि धाराओं को क्रियान्वयन किये जाने हेतु परिपत्र निर्गत किये गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों का सम्यकरूप से अनुपालन नहीं हो रहा है।

परिपत्र संख्याः पाँच/2012 दिनांक 30-1-2012
परिपत्र संख्याः 40/2013 दिनांक 24-7-2013
परिपत्र संख्याः 72/2015 दिनांक 22-10-2015
परिपत्र संख्याः62/2016 दिनांकित 04-11-2016
परिपत्र संख्याः15/2017 दिनांकित 02-6-2017
परिपत्र संख्याः डीजी-सात-एस-3(249)-09-2016 दिनांक 16-5-2016
परिपत्र संख्याः डीजी-सात-एस-3(249)-09-2016 दिनांक 16-8-2016

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य एंव उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 में वर्णित धारा 20 में दण्ड की व्यवस्था की गई है। अधिनियम की धारा 20 में प्रथम बार उल्लघन किये जाने पर एक वर्ष का कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड का प्राविधान है। पश्चातवर्ती अपराध किये जाने पर दो वर्ष के कारावास व तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है।

आप सहमत होगें कि उक्त अधिनियम की धाराओं का सफलता पूर्वक अनुपालन कराये जाने में पुलिस विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्योकि पुलिस के सहयोग के बिना चालान/दण्ड व्यवस्था को स्थापित करना बहुत कठिन है। पुलिस के सहयोग से इस प्रकार के अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन को बल मिलेगा तथा छापामारी एवं दण्ड व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।

उपरोक्त अधिनियम को प्रभावी रूप से अनुपालन किये जाने हेतु पुनः आप सभी को अनुपालनार्थ निम्नांकित निर्देश दिये जा रहे है:-

- सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपदों में पूर्व से नियुक्त नोडल अधिकारियों को और सक्रिय करते हुये उनकी अध्यक्षता में जनपद स्तरीय प्रवर्तन दलों का गठन किया जाये ताकि उक्त अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा सके।
- पुलिस प्रशिक्षण के समस्त पाठयक्रमों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 को सम्मिलित किया जाये व पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों पर सीओटीपीए 2003 का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कार्यरत है के सहयोग से जनपद के समस्त थाना प्रभारी को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का कड़ाई से अनुपालन किये जाने एवं

अधिनियम का अनुश्रवण एवं प्रवर्तन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहयोग से प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाना अपेक्षित होगा ।

- पुलिस विभाग के अन्तर्गत सभी थानों/चौकियों को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाते हुये वहाँ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साइनबोर्ड लगवाया जाना सुनिश्चत किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पुलिस थाना/चौकी परिसर में आगंतुकों/अधिकारियों/कर्मचारियों व्दारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।
- होटल एवं रेस्टोरेंट में स्मोकिंग जोन के लिये सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के नियम एवं उप-नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।
- सभी सरकारी विभागों एवं स्वंयमसेवी संस्थानों से मिलकर "धूम्रपान/तम्बाकू मुक्त उत्तर प्रदेश" की दिशा में कदम बढ़ाया जाये।
- सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद के उत्पादन व बिक्री से निःसंदेह बच्चों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। ऐसे उत्पादों से बच्चों को मुक्त कराये जाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसके प्रयोग के प्रति संवेदनशील बनाया जाये।
- सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य एंव उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 में वर्णित प्राविधानों धाराओं,उप-धाराओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये ताकि आम जनता को भी इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मिल सके।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये संदर्भित निर्देशों/शासनादेशों/अधिनियमों का आप स्वंय अध्ययन कर लें तथा इन निर्देशों से सभी राजपत्रित अधिकारियों/थानाध्यक्षों/चौकी प्रभारियों को विस्तार से अवगत करा दें कि सिगरेट तथा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री एवं उनके प्रयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु स्कूलों के समीप/सिनेमाहाल/पार्क/बार/रेस्टोरेंट/दुकानों/सार्वजनिक स्थलों का चिन्हांकन कर लें तथा इन स्थानों पर इस प्रकार के उत्पादों की बिक्री न होने देना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करेगें। मुझे आशा ही नही वरन पूर्ण विश्वास है कि आप अपने नेतृत्व एवं कर्तव्य निष्ठा से इस दिशा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेंगें।

भवदीय,

27/1/20

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।